|  |
| --- |
| **भारत सरकार** |
| **आर्थिक कार्य विभाग** |
| **वित्‍त मंत्रालय** |
| **राज्‍य सभा** |
| **अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 684** |
| (जिसका उत्‍तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाने वाला है) |
|  |
| **जाली नोटों के प्रचलन पर रोक लगाने हेतु प्लास्टिक मुद्रा** |

|  |  |
| --- | --- |
| **684.** | **श्री थावर चन्द गहलोत:** |

|  |  |
| --- | --- |
| क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: | |
|  |  |
|  | जाली नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं; |
|  | क्या भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रयोजनार्थ प्लास्टिक के नोट जारी करने पर विचार कर रहा है; |
|  | यदि हां, तो इससे जाली नोटों के कारोबार पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकेगा; और |
|  | प्लास्टिक के नोट कब तक बाजार में जारी होंगे एवं इनकी क्या विशेषताएं होंगी? |

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)**

(क) जाली भारतीय करेन्सी नोटों की समस्या के बहु-आयामी पहलुओं से निपटने के लिए, विभिन्न एजेंसियां जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र और राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि जाली भारतीय करेन्सी नोटों के अवैध क्रियाकलापों को रोका जा सके। इन एजेंसियों के कार्य की आवधिक समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित नोडल समूह (एफसीओआरडी) द्वारा की जाती है। एफसीओआरडी (एफआईसीएन समन्वय प्रकोष्ठ) विश्व में जाली भारतीय करेंसी नोटों के चलन/तस्करी के संबंध में सभी उपलब्ध जानकारी/आसूचना का समन्वय/आदान-प्रदान करता है और उसका विश्लेषण करता है। कार्यात्मक स्तर पर, राज्यों से समन्वय के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है तथा राजस्व आसूचना महानिदेशालय को इस प्रयोजनार्थ अग्रणी आसूचना एजेंसी के रुप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को इस समस्या से निपटने के लिए इस प्रकार के अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने आतंकवादी वित्त-पोषण तथा जाली करेंसी के मामलों की जाँच पर ध्यान देने के लिए 2010 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में आतंकवादी वित्तपोषण एवं जाली करेंसी प्रतिषेध प्रकोष्‍ठ (टीएफएफसी) की स्थापना भी की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों की पहचान किए जाने से संबंधित तंत्र को भी सुदृढ़ किया है।

(ख) से (घ): बैंक नोटों, विशेष रूप से निम्न मूल्यवर्ग में, का जीवन बढाने के लिए सरकार और आरबीआई ने यह निर्णय लिया था कि फील्ड परीक्षण आधार पर पोलीमर में 10 रुपये के नोट चलाए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को देखते हुए प्लास्टिक और पोलीमर नोटों में मजबूत जालसाजी विरोधी विशेषताएं है। आरबीआई ने यह प्रक्रिया प्रारंभ की है। आरबीआई के केन्द्रीय बोर्ड ने प्रस्तावित बैंक नोटों के डिजाइन को अनुमोदित कर दिया है। इस मामले में उचित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पोलीमर नोट प्रारंभ किए जाएंगे।

\*\*\*\*\*\*\*